भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3363

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

ग्राम उद्योग विकास योजना

3363. **श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए एक विशिष्ट घटक/कार्यकलाप के रूप में हस्तनिर्मित आभूषणों और कच्छ के चांदी के आभूषणों, बस्तर के ढोकरा, आन्ध्र प्रदेश के लाख के आभूषण और एटिकोप्पका तथा पुरुलिया में संथाल महिलाओं द्वारा बनाए गए टेराकोटा आभूषणों को एक विशिष्ट घटक/कार्यकलाप के रूप में शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे कारीगरों के लिए बाजार से जुड़ाव और आय की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) **एवं (ख):** मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई), हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई), ग्रामीण अभियांत्रिकी और नए प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई) और सेवा उद्योग जैसे ग्रामोद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण और परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण और टूलकिट प्रदान किए जाते हैं।

वर्तमान में, ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट घटक/क्रियाकलाप के रूप में कच्छ के चांदी के आभूषण, बस्तर के ढोकरा, आंध्र प्रदेश के लाख आभूषण और एटिकोप्पाका और पुरुलिया में संथाल महिलाओं द्वारा बनाए गए टेराकोटा आभूषण जैसे सजावटी वस्तुओं को शामिल करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

*****